राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प.10(44)नविवि/3/2009पार्ट–III जयपुर, दिनांक 01.6.18

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 25.03.2013 एवं 18.07.2013 हाईवे कन्ट्रोल जोन मे प्लांटेशन कॉरीडोर की भूमि को खातेदार को आवंटित/लीजडीड दिये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। सामान्यत राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग तथा अन्य मुख्य राजमार्गो के सहारे 30 मीटर गहराई में वृक्षारोपण पट्टी आरक्षित की जाती है। अनेक प्रकरणों में मुख्य सड़क से किसी निजी खातेदारी की भूमि तक पहुँचमार्ग वृक्षारोपण पट्टी में होकर प्राप्त होता है अथवा भूखण्ड के सामने वृक्षारोपण पट्टी पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से राजकीय भूमि होती है जिस कारण वृक्षारोपण पट्टी के बाद की भूमियों का मुख्य सड़क से पहुँचमार्ग उपलब्ध नही होता है और ऐसी राजकीय भूमि पर वृक्षारोपण के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नही किया जा सकता है।

वृक्षारोपण पट्टी के बाद की भूमि का स्वामित्व रखने वाला व्यक्ति वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित राजकीय भूमि (आंशिक अथवा पूर्ण) के आवंटन का आवेदन करता है तो ऐसी भूमि का आवंटन प्रस्तावित उपयोग हेतु आरक्षित दर की दुगनी राशि लेकर इस शर्त पर किया जावे कि उक्त भूमि पर कोई निर्माण अनुज्ञेय नही होगा तथा इस भूमि पर केवल वृक्षारोपण ही किया जायेगा। इस प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग के मार्गाधिकार के पश्चात वृक्षारोपण पट्टी की राजकीय भूमि आवंटन किये जाने पर वृक्ष लगाने का कार्य भी भूखण्डधारी द्वारा सुनिश्चित किया जावे। एक वर्ष की अवधि के भीतर वृक्षारोपण पट्टी पर वृक्ष न लगाने या देखरेख न करने/उसका दुरूपयोग करने पर आवंटन निरस्त कर भूमि का कब्जा लिये जाने की कार्यवाही संबंधित निकाय/नगर विकास न्यास/प्राधिकरण द्वारा की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

01/6/18

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास विभाग।
3. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम